राज्य बनाम राकेश

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

2019/00120

हुक्म या कार्यवाही	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-1-2022 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् [illegible] अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18-1-2022 को पेश हो। रीडर	
18-1-22 वकील उभयपक्ष उप० वास्ते बहस पत्रावली दि० 24-1-22 को पेश हो	
24-1-22 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2-2-22 को पेश हो। रीडर	
2/2/22 वकील उभयपक्ष उप० / वास्ते बहस पत्रा० दि० 21/2/22 को पेश हो	
21/2/22 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/2/22 को पेश हो। रीडर	
23/2/22 वकील उभयपक्ष उप० / वास्ते बहस पत्रा० दि० 3/3/22 को पेश हो /	
3/3/22 वकील उभयपक्ष उप० / बहस सुनी गई / वास्ते निर्णय पत्रा० दि० 16/3/22 को पेश हो /	
16/3/22 वकील उभयपक्ष उप० / अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है / विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रा० में शामिल किया गया / पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो /	

Scanned with CamScanner

निर्णय न्यायालय श्री अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
6/2019	31.5.2019	16.3.2022

रामरूप पुत्र गंगाधर, गुर्जर निवासी कुनकटा कलॉ तह. गंगापुर सिटी (मृतक)

1/1 श्रीमती केडा पत्नी स्व. रामरूप, गुर्जर नि. कुनकटा कलॉ तह. गंगापुर

1/2 भीमसिंह पुत्र स्व. रामरूप, गुर्जर नि. कुनकटा कलॉ तह. गंगापुर

1/3 विजयसिंह पुत्र स्व. रामरूप, गुर्जर नि. कुनकटा कलॉ तह. गंगापुर

---अपीलार्थीगण

बनाम

1 रामधन पुत्र श्रीचन्द,गुर्जर निवासी कुनकटा कलॉ तहसील गंगापुर सिटी।

2 लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

---रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 128 दिनांक 29.4.1999 ग्राम कुनकटाकलॉ

उपस्थित :– श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय, एडवोकेट, अपीलार्थीगण की ओर से

श्री हर्षवर्धन शर्मा, एड., रेस्पोडेन्ट्स की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील इस आशय की पेश की है कि अपीलार्थी रामरूप के चाचा व कान्जी पुत्र परसी के बाबा पून्या की खातेदारी व कब्जे की भूमि आराजी खसरा नम्बर 391, 392, 394, 406, 407, 408, 409, 424, 425, 426, 427, 428, 456 कुल किता 14 कुल रकबा 2.31 हेक्टर, आराजी खसरा नम्बर 454, 454/875, 455, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, कुल किता 11 कुल रकवा 2.25 हेक्टर, आराजी खसरा नम्बर 399, 410 कुल किता 2 कुल रकवा 0.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 392, 394 कुल किता 2 कुल रकवा 0.57 हेक्टर, खसरा नम्बर 458 रकवा 0.17 हेक्टर, आराजी खसरा नम्बर 391 रकवा 0.28 हेक्टर, आराजी खसरा नम्बर 456 रकवा 0.06 हेक्टर, आराजी खसरा नम्बर 408, 409, 427, 428 कुल किता 4 कुल रकवा 0.53 हेक्टर, आराजी खसरा नम्बर 393, 424, 425, 426 कुल किता 4 कुल रकवा 0.58 हेक्टर एवं आराजी खसरा नम्बर 406, 407 कुल किता 2 कुल रकवा 0.29 हेक्टर वाके ग्राम कुनकटा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर मे है जो पैत्रिक भूमि है। जिसमें 1/5 हिस्सा गंगाधर, 1/5 हिस्सा पून्या, 1/5 हिस्सा परसी, 1/5 हिस्सा श्रीचन्द, 1/5 हिस्सा फैली का है। फैली पुत्र बाल्या की मृत्यु सडक दुर्घटना मे दिनांक 26.08.1998 को हो चुकी है। उक्त फैली पुत्र बाल्या उर्फ बालूराम लाऔलाद फौत हुआ। ऐसी स्थिति में

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

फैली के हिस्से की भूमि का नामान्तकरण गंगासर, पूर्णा, परसी, व श्रीचन्द के अतिरिक्त के नाम खुलना चाहिए था परन्तु रामधन पुत्र श्रीचन्द द्वारा ग्राम पंचायत कुनकटा, पटवारी व गिरदावर से मिलकर स्वयं को फैली का गोद पुत्र बताते हुये फैली के हिस्से का नामान्तकरण स्वयं के नाम करवा लिया। जबकि फैली ने अपने जीवनकाल में किसी को गोद नहीं लिया था, लाऔलाद फौत हुआ था। ऐसी स्थिति में फैली की मृत्यु के पश्चात् रामधन पुत्र श्रीचन्द के नाम खोला गया नामान्तकरण संख्या 126 दिनांक 29.04.1999 विधि विरुद्ध एवं नियम विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। स्वर्गीय फैली की मृत्यु के उपरान्त ग्राम पंचायत कुनकटा कलाँ में नामान्तकरण की कार्यवाही की गई जिसमें पटवारी हल्का कुनकटा कलाँ से शजरा लिया गया। जिसके अनुसार बाल्या के वारिस गंगासर, पूर्णा, परसी, श्रीचंद व फैली बताये गये है। इनमें सभी की मृत्यु हो चुकी है तथा फैली लाऔलाद फौत होना बताया गया है। गंगासर का वारिस रामरूप बताया गया है। पूर्णा के वारिस भूरसिंह, बाबू व जसोदा बताये गये है। परसी का वारिस कजोड़ी बताया गया है। श्रीचंद के वारिस हंसराज, रामधन व हुकमी बताये गये है। नामान्तकरण संख्या 126 में सचिव ग्राम पंचायत कुनकटा कलाँ द्वारा नामान्तकरण के पैरा नम्बर 16 में यह अंकित किया गया था श्रीमान फैली पुत्र बाल्या गुर्जर लाऔलाद फौत हो चुका है। अतः इसके वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज कर वास्ते जाँच व तस्दीक पेश हो। तदनुसार पटवारी हल्का द्वारा जो शजरा प्रस्तुत किया गया है। उसके अनुसार नामान्तकरण खोला जाना आवश्यक था। परन्तु सरपंच ग्राम पंचायत कुनकटा कलाँ द्वारा दिनांक 29.04.1999 को जो फैसला किया। उसमे फैली पुत्र बाल्या को लाऔलाद फौत होना दर्शाया है परन्तु ग्राम के व समाज के रीती रिवाज के अनुसार अपने भाई के लड़के रामधन पुत्र श्रीचन्द को गोद, जिसकी सहमति उसके भाई बन्धु व ग्राम वासियो द्वारा देना तथा फैली की सम्पत्ति व जमीन जायदाद पर रामधन को काबिज मानते हुये एवं रामधन द्वारा ही फैली का अन्तिम संस्कार व पगड़ी बंधने के आधार पर, रामधन को मृतक फैली पुत्र बाल्या का दत्तक पुत्र मानते हुये नामान्तकरण स्वीकार किये जाने का जो आदेश दिया है वह पूर्णतया विधि विरुद्ध एवं निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत के समक्ष नामान्तरकण खोलने के समय ना तो कोई रामधन का गोद नामा था न ही सम्पत्ति व जमीन काबिज होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज थे। ग्राम पंचायत एक ओर रामधन को लाऔलाद फौत होना बताती

है व दूसरी ओर रामधन को दत्तक पुत्र बताती है। दोनों ही वर्जन एक दूसरे के विपरित है एवं ग्राम पंचायत कुनकटा को बिना गोद नामे के रामधन के नाम नामान्तकरण खोलने का कोई अधिकार नही था। साजिशी पूर्ण तरीके से खोला गया नामान्तकरण संख्या 128 दिनांक 29.04.1999 विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करे जिसमें रामधन के पिता स्वर्गीय श्रीचन्द की मृत्यु के उपरान्त श्रीचन्द के वारिसान में रामधन, हंसा को स्वर्गीय श्रीचंद के पुत्र मानते हुये एवं मुस. हुकमी को श्रीचन्द की पत्नि मानते हुये श्रीचन्द की मृत्यु के उपरान्त श्रीचन्द का नामान्तकरण उक्त तीनों के नाम खोला गया था। जब रामधन श्रीचन्द का पुत्र है तो उस स्थिति में फैली का दत्तक पुत्र नही हो सकता एवं राजस्व रिकार्ड में 1/5 हिस्से में रामधन दत्तक पुत्र फैली व 1/5 से हुकमी, हंसा व रामधन को स्वर्गीय श्रीचन्द के वारिसान बताये गये है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रामधन स्व0 फैली का दत्तकपुत्र नही है। अपीलार्थी को उक्त तथ्य की पूर्व मे कोई जानकारी नहीं थी परन्तु रामधन द्वारा स्वर्गीय फैली के हिस्से की जमीन की रजिस्ट्री जब अपने पुत्र ओमप्रकाश की पत्नि रोशन्ता के नाम कराई व उसमें नामान्तकरण की कार्यवाही की तब दिनांक 01.05.2019 को ही अपीलार्थी द्वारा नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया एवं दिनांक 01.05.2019 को ही नकल प्राप्त हुई तब सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई तथा जानकारी होने दिनांक 01.05.2019 से अपील अन्दर मियाद पेश है। इसके अतिरिक्त धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत कुनकटा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 128 दिनांक 29.04.1999 को निरस्त फरमाते हुये पुनः जॉच कर नामान्तकरण भरे जाने के आदेश प्रदान करे।

अपील के साथ अपीलार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र, नकल नामान्तरकरण संख्या 128 दिनांक 29.4.1999 की प्रमाणित प्रति, नकल जमांबदी संवत 2053–2056 खाता संख्या 44, 43, 42 एवं 2056–2060 खाता संख्या 40, 41, 42, नकल जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 147, 151, 150, 149, 148, 204, 206, 205,152 फोटोकॉपी मतदाता सूची भाग संख्या 209, फोटोकॉपी प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 174 सीआर.पी.सी. प्रस्तुत किये है।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स को तलब किया गया।

रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए।

रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की ओर से धार 5 मियाद अधिनियम का जबाब प्रस्तुत किया गया। जिसमे उन्होने अंकित किया है कि अपीलार्थी को नामान्तकरण की जानकारी बखूबी रही है। अपीलार्थी ने बीस वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की है तथा बिलम्ब का सद्भावी व युक्तियुक्त कारण नही बताया है। प्रार्थना पत्र को मियाद मे लेने हेतु झूठी इबारत अंकित की है। अपील काफी बिलम्ब से प्रस्तुत की है। जिसका कोई विधिक कारण भी नही है। अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जावें।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अपनी अपील के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि बाल्या के पॉच पुत्र थे। जिनमे फैली लाऔलाद फौत हुआ। फैली की विरासत का नामान्तकरण जो पटवारी हल्का द्वारा भरा गया उसमे फैली के खाते की भूमि उसके अन्य भाई गंगाधर, पून्या, परसी और श्रीचंद के वारिसों मे हिस्से अनुसार दिखाई गई परन्तु सरपंच ग्राम पंचायत कुनकटाकलॉ ने 29.4.1999 को अपने निर्णय मे रामधन को फैली का दत्तक पुत्र बताते हुए फैली की भूमि का नामान्तकरण उसके नाम दर्ज करने का आदेश दिया है। सरपंच ने यह विधि विरूद्ध आदेश दिया है क्योकि रामधन को फैली ने कभी गोद नही लिया। इसके अलावा फैली के प्राकृतिक पिता श्रीचंद की विरासत मे रामधन का हिस्सा भी दर्ज किया गया। यह दोनो परस्पर विरोधाभासी बाते है। नामान्तकरण कानून के विरूद्ध खोला गया है जो खारिज फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट के विद्वान वकील ने अपनी बहस मे कहा कि गोदनामा रजिस्टर्ड होना आवश्यक नही है।अपीलाधीन नामान्तकरण मजमे आम मे खोला गया है एवं रामधन के गोद जाने पर उसके भाई बंधुओ व ग्रामवासियों ने भी अपनी सहमति दी है, इसका अंकन सरपंच ने अपने निर्णय मे किया है। पंचायत द्वारा नामान्तकरण सही खोला गया है। अपील खारिज फरमायी जावें।

रिबटल मे अपीलार्थी के वकील ने तर्क दिया कि भाई बंधुओ की सहमति के कही हस्ताक्षर नही है। पटवारी के सजरे मे गोदपुत्र होने का

जिला कलेक्टर
पुर सिटी (स०मा०)

Scanned with CamScanner

कोई उल्लेख नही है। फौली ने अपने जीवन काल मे रामधन को कभी गोद नही लिया।

रेस्पोडेन्ट के वकील ने तर्क दिया कि नामान्तकरण वर्ष 1999 मे हुआ है जिसकी अपील बीस वर्ष बाद की गई है। अपील मियाद बाहर है। नामान्तकरण की जानकारी अपीलार्थी को पूर्व से ही रही है। अपील खारिज होने योग्य है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार अपीलार्थी ने वादग्रस्त भूमि ख0न0 454, 455, 457, 458, 459, 460, 461, 462,463, 464, 454/875, 399, 410, 391, 392, 393, 394, 406, 407, 408, 409, 424, 425, 426, 427, 428, 456 ग्राम कुनकटा कलॉ के बाबत खोले गये नामान्तकरण संख्या 128 दिनांक 29.4.1999 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है। इन नम्बरों मे अपीलार्थी रामरूप व रेस्पोडेन्ट रामधन के अलावा अन्य भी बहुत से खातेदार है परन्तु अपीलार्थी ने सभी को अपील मे पक्षकार नही बनाकर मात्र रामधन को ही पक्षकार बनाया है जबकि अपीलार्थी को सभी सहखातेदारों को अपीलार्थी के रूप मे अथवा रेसपोडेन्ट के रूप मे पक्षकार बनाना आवश्यक था। नामान्तकरण से सम्बद्ध वादग्रस्त भूमि के अन्य सहखातेदारों को अपीलार्थी ने अपनी अपील मे पक्षकार नही बनाने का कोई स्पष्टीकरण भी अपील मे दर्ज नही किया है।

अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील नामान्तकरण संख्या 128 दिनांक 29.4.1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जो दिनांक 2.5.19 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है जो बीस वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। अपनी अपील मे अपीलार्थी ने सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी उसे दिनांक 1.5.2019 को होना बताकर यह अपील प्रस्तुत की है। इसके विपरित रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक का कथन है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे खोले गये नामान्तकरण की जानकारी अपीलार्थी को शुरू से ही रही है क्योंकि इसमें बीच मे भूमि का बेचान भी हुआ है। इसके अलावा स्वयं अपीलार्थी ने भी अपने नाम दर्ज भूमि पर बैक से ऋण भी प्राप्त किया है। अपीलार्थी की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत की गई नकल जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 147, 151, 150, 149, 148, 204, 206 205 व 152 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है। क्योकि इन जमाबंदियो मे अपीलार्थी के 1/5 हिस्से को अपीलार्थी ने स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर मे रहन रखकर ऋण प्राप्त किया है। संवत 2073 अर्थात

जिला कलेक्टर
जयपुर सिटी (स0मा0)

अपील प्रस्तुत करने से तीन वर्ष पूर्व से अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज शुदा भूमि की जानकारी थी। इस प्रकार अपीलार्थी ने 1.5.2019 को तथ्यों की जानकारी होने का गलत कथन किया है। फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील अन्य सहखातेदारों को अपील मे पक्षकार नही बनाने तथा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत करने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः अपीलार्थी द्वारा नामान्तकरण संख्या 128 दिनांक 29.4.1999 ग्राम कुनकटकलॉ तहसील गंगापुर सिटी के विरूद्ध प्रस्तुत यह अपील उपरोक्त विवेचन के अनुसार खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.3.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)